

राजस्थान सरकार
कृषि आयुक्तालय राजस्थान जयपुर

क्रमांक:-प.2 (सब) आ.कृ./जी-39/21-22/ग्रुप-9/8957-9069
दिनांक 18.10.2021

- 1- संयुक्त निदेशक, मुख्यालय
उधान आयुक्तालय, राजस्थान जयपुर ।
- 2- संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार)
जयपुर/ भरतपुर/ जौधपुर/ उदयपुर/ जालौर/
बीकानेर/ श्रीगंगानगर/ भीलवाडा/ सीकर/ कोटा ।

विषय:- दिनांक 31-03-2023 तक सेवानिवृत्त होने वाले सहायक कृषि अधिकारियों की सूचना उपलब्ध कराने बाबत ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपके तथा आपके अधिनस्थ (आई.जी. एन.पी./सी.ए.डी./प्रतिनियुक्त पर कार्यरत सहित) कार्यालयों में दिनांक 01-04-2022 से 31-03-2023 तक की अवधि में सेवानिवृत्त होने वाले सहायक कृषि अधिकारियों की निम्न प्रपत्र में इकजाई सूचना 15 दिवस में आयुक्तालय को उपलब्ध कराने का श्रम करावें ।

प्रपत्र

क स	कार्यालय का नाम	सहायक कृषि अधिकारी का नाम	जन्म तिथि (सेवापुस्तिका के प्रथम पृष्ठ की प्रमाणित प्रति संलग्न करें)	अधिवाषि की आयु पूर्ण करने की तिथि	नियुक्ति दिनांक से आज दिनांक तक का पदस्थान विवरण	सी.सी.एस. नियम 16 के तहत जॉच बकाया है /लम्बित है या नहीं की सूचना	सी.सी.एस. नियम 19 के तहत जॉच बकाया है /लम्बित है या नहीं की सूचना	कोई न्यायिक कार्यवाहियों लम्बित है या नहीं की सूचना
1	2	3	4	5	6	7	8	9



(कैलाश चंद मीना)
संयुक्त निदेशक कृषि (प्रशासन)

कमॉक:-प.2 (सब) आ.कृ./जी-39/21-22/गुप-9/8957-9069दिनांक 18.10.2021
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1- एनालिस्ट कम प्रोग्रामर को विभागीय बैवसाइट पर अपलोड करने हेतु ।
2- समस्त उप निदेशक कृषि (वि) जिला परिषद को भेजकर लेख है कि आपके अधिनस्थ कार्यरत सहायक कृषि अधिकारी जो कि दिनांक 01-04-2022 से 31-03-2023 की अवधि में सेवानिवृत्त होने जा रहे है कि सूचना उपरोक्त प्रपत्र में खण्ड कार्यालय के माध्यम से आयुक्तालय को उपलब्ध करावे । सी.सी.ए.नियम 16/19 व अन्य के तहत जॉच से सम्बन्धित पावर खण्ड कार्यालयों में निहित की गयी है अतः चाही गई वॉछित सूचना सीधे आयुक्तालय को प्रेषित नहीं करके खण्ड कार्यालय के माध्यम से ही उपलब्ध करावे ।

3- समस्त सहायक निदेशक कृषि (वि) को भेजकर लेख है कि आपके अधिनस्थ कार्यरत सहायक कृषि अधिकारी जो कि दिनांक 01-04-2022 से 31-03-2023 की अवधि में सेवानिवृत्त होने जा रहे है कि सूचना उपरोक्त प्रपत्र में खण्ड कार्यालय के माध्यम से आयुक्तालय को उपलब्ध करावे । सी.सी.ए.नियम 16/19 व अन्य के तहत जॉच से सम्बन्धित पावर खण्ड कार्यालयों में निहित की गयी है अतः चाही गई वॉछित सूचना सीधे आयुक्तालय को प्रेषित नहीं करके खण्ड कार्यालय के माध्यम से ही उपलब्ध करावे ।



(गोपाल लाल)

उप निदेशक कृषि (प्रशासन)